INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL

ISSN: 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 7 | ISSUE - 1 | FEBRUARY – 2017

बिहार राज्य पथ परिवहन निगमः प्रबंधकीय संरचना

बिजय कुमार मिश्रा
शोध छात्र, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा.

भूमिका

बिहार में राज्य सड़क सेवाओं का उद्भव विभागीय स्वरूप के अन्तर्गत 26 जनवरी, 1953 को हुआ जब पटना तथा पटना से जाने वाले कुछ मार्गो का राष्ट्रीयकरण करके इन्हें राज्य के परिवहन विभाग के अधीन कर दिया गया। कुछ समय बाद दक्षिणी बिहार के जिलों का भी राज्य परिवहन विभाग द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। इससे स्पष्ट है कि राज्य में सड़क सेवाओं के प्रबन्ध हेतु सर्वप्रथम विभागीय स्वरूप अपनाया गया। राज्य सरकार द्वारा सड़क सेवायें संचालित करने का मुख्य उद्देश्य जनता को मितव्ययी, कुशल तथा नियमित परिवहन सेवायें उपलब्ध कराना, निजी संचालकों की मनमानी प्रवृत्ति को समाप्त करना तथा राज्य से संसाधनों मे वृद्धि करना था।

सन् 1950 में संसद में केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम अधिनियम पारित किया गया जिसके प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों में सांविधिक निगमों की स्थापना की गयी। इन सांविधिक स्वायत्तशासी निगमों से प्राप्त होने वाले लाभों तथा योजना आयोग की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए उक्त केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत 1 मई, 1959 को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई। इस निगम की स्थापना के पश्चात राज्य सड़क सेवाओं पर नियंत्रण की विभागीय व्यवस्था समाप्त हो गयी।

11 अक्टूबर 1999 तक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का प्रबन्ध एक संचालक मण्डल द्वारा किया जाता रहा। किन्तु उसके पश्चात इस मण्डल को भंग कर राज्य सरकार ने निगम में एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी जो निगम के कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी होता है।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगमः प्रबंधकीय संरचना

संचालक मण्डल

लोक उद्योगों को चलाने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संचालक मण्डल का होता है और उससे यह आशा की जाती है कि वह अधिकतम सम्भव रूप से स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करेगा। केन्द्रीय अधिनियम, 1950 में स्पष्ट उल्लेख है कि निगम का प्रबंध, निर्देशन, सामान्य निरीक्षण और उसकी विविध क्रिया–कलापों की देखभाल का कार्य एक संचालक मण्डल के अधीन होगा। इस मण्डल के सदस्यों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि निगम की सफलता या असफलता मुख्यतः सदस्यों की

योग्यता या अयोग्यता पर निर्भर करती है। अतः केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6 निम्नलिखित को संचालक मण्डल का सदस्य बनाये जाने से रोकती हैः

i) विक्षिप्त या अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति।

ii) ऐसा व्यक्ति जिसे दिवालिया घोषित किया गया हो।

iii) ऐसा व्यक्ति जो नैतिक चरित्रहीनता का दोषी हो।

iv) निगम के किसी कार्य मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत हित रखने वाला व्यक्ति।

v) ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य सड़क परिवहन प्रतिष्ठान में कोई वित्तीय हित रखता हो।

संचालक मण्डल में कितने सदस्य होंगे, इस विषय में केन्द्रीय अधिनियम, 1950 में सन् 1982 तक कुछ भी वर्णित नहीं था। किन्तु 1982 में अधिनियम में हुए संशोधन से स्पष्ट किया गया कि एक संचालक मण्डल में अध्यक्ष के अतिरिक्त कम से कम 5 तथा अधिक से अधिक 17 संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है।[3] तालिका 1 से स्पष्ट है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में संचालक मण्डल का आकार सदैव अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत रहा है।

तालिका 1

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में संचालक मण्डल का आकार

वर्ष	सरकारी सदस्य		गैर–सरकारी सदस्य	योग
	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार		
1994–95	2	1	8	11
1995–96	2	1	8	11
1996–97	2	1	9	12
1997–98	3	1	6	10
1998–99	3	1	6	10

12 अक्टूबर, 1999 से प्रशासक की नियुक्ति

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

केन्द्रीय अधिनियम, 1950 की धारा 5 राज्य सरकार को परिवहन निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार प्रदान करती है। निगम की सफलता या असफलता मुख्यरूप से इसके अध्यक्ष की योग्यता पर निर्भर करती है। इस सन्दर्भ में कृष्ण मेनन समिति का स्पष्ट मत है कि अध्यक्ष पद के लिये यद्यपि किसी शैक्षणिक एवं विशेष योग्यता का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाना है उसको उस पद से संबंधित मूल तथ्यों तथा अन्य बातों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। उसमें समूह के साथ कार्य करने और उसका नेतृत्व करने की योग्यता होनी चाहिए। अध्यक्ष का कार्य निगम की बैठकों की अध्यक्षता करना ही नहीं होता, बल्कि उसका दायित्व सरकार तथा निगम के हितों में समन्वय स्थापित करना भी होता है। अध्यक्ष संचालन मण्डल का नेतृत्व करता है तथा किसी संबंधित विषय पर विवादपूर्ण स्थिति में अपना निर्णायक मत भी देता है। वह यह भी देखता है कि निगम के कार्यक्रम तथा नीतियाँ सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप है या नहीं।

निगम की स्थापना के समय अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित किया गया था। केन्द्रीय अधिनियम, 1950 की धारा 5 (3) के अनुसार, राज्य सरकार संचालकों में से किसी एक को मण्डल का उपाध्यक्ष नामांकित कर सकती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यह निगम के कार्यकलापों हेतु उत्तरदायी होता है।

प्रबन्ध निदेशक

केन्द्रीय अधिनियम, 1950 की धारा 14 (1) के अनुसार, राज्य सरकार परिवहन निगम हेतु एक मुख्य अधिशासी अधिकारी अथवा प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति करती है। महत्वपूर्ण है कि बुद्धिमतापूर्ण निर्णय लेना ही किसी व्यवसाय की सफलता के लिये पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस निर्णय का प्रभावी तरीके से तथा कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। प्रबन्ध निदेशक कार्यकारिणी प्रबन्ध का प्रधान होता है जो कि संचालक मण्डल द्वारा लिये गये विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए निगम की नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण, क्रियान्वयन एवं समन्वय करता है। यदि संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में इसकी नियुक्ति की जाती है तो उस अवस्था में एकओर वह संचालक मण्डल की बैठकों में भाग लेता है तथा नीतियाँ निर्धारित करने में अपना योगदान करता है, तथा दूसरी ओर वह मुख्य अधिशासी अधिकारी के रूप में उन नीतियों व निर्णयों को निगम में क्रियान्वित करता है।

प्रशासक

12 अक्टूबर, 1999 को राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के पद अवक्रमित करके निगम की प्रशासनिक देखभाल के लिये प्रशासक की नियुक्ति कर दी गयी।

स्पष्ट है कि चाहे प्रबन्ध निदेशक हो या प्रशासक, किसी की भी कार्यावधि संतोषजनक नहीं कही जा सकती। दो बार ऐसी परिस्थितियाँ भी आयी हैं जब निगम को बिना शीर्ष प्रबन्धन को ही अपना कार्य सम्पादित करना पड़ा है। इस प्रकार राज्य सरकार अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में असफल रही है। निगम को ठीक ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक है कि शीर्ष प्रबन्ध की कार्यावधि के बारे में ठोस निर्णय लिया जाय ताकि वह निगम की कार्याविधि को अच्छी तरह से समझकर सही ढंग से संचालित कर सके।

प्रशासक के रूप में एक व्यक्ति को निगम का कार्यभार सौंप देना विवेकपूर्ण निर्णय नहीं कहा जा सकता है। राज्य सरकार को संचालक मण्डल का पुनः गठन कर उसके संचालकों, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक को कार्य करने हेतु पर्याप्त अवधि प्रदान करनी चाहिए। यह अवधि 3 से 5 वर्ष के मध्य उपयुक्त कही जा सकती है।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की त्रिस्तरीय संचालन व्यवस्था

बिहार प0 नि0 के क्रिया–कलाप त्रिस्तरीय पद्धति के अन्तर्गत संचालित किये जाते हैं। सर्वोपरि मुख्यालय है जो पटना में स्थित है। इसका नियंत्रण प्रबन्ध निदेशक के हाथों में होता है। मुख्यालय के पश्चात द्वितीय स्तर पर संभागीय कार्यालय है जो तृतीय स्तर पर स्थित डिपो के कार्यकलापों पर नजर रखते हैं। तीनों स्तर पर निगम के कार्यकलापों को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु अनेक विभागों की स्थापना की गयी है तथा प्रत्येक विभाग को एक निश्चित कार्यभार सौंपा गया है। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था के अन्तर्गत स्थापित महत्वपूर्ण विभागों को ब्यौरा निम्नलिखित हैं।

मुख्यालय में कार्यरत प्रमुख विभाग

पटना स्थित मुख्यालय में प्रमुखतः निम्नलिखित विभागों की स्थापना की गयी है:

क्रय एवं भण्डारण विभाग

निगम के वाहनों के रखरखाव एवं जीर्णोद्धार तथा नयी गाड़ियों के बनाने या नवीनीकरण के लिए बस बॉडी के सामान तथा टायर, ट्यूब, ऑटो, पुर्जे, बैट्री, डीजल आदि का क्रय व भण्डारण इस विभाग द्वारा किया जाता है। मुख्यालय स्तर पर इस विभाग के प्रमुख उप–महाप्रबन्धक (क्रय एवं भण्डारण) होते हैं। समस्त क्रय वाहन निर्माताओं तथा ओरिजनल इक्युपमेन्ट निर्माताओं से तथा बिहार एवं बाहर के प्रतिष्ठित उत्पादकों से ही किया जाता है।

मुख्यालय स्तर पर महत्वपूर्ण सामानों का क्रय करके उसे आवश्यकतानुसार संभागों तथा डिपो में प्रेषित कर दिया जाता है। निगम के संभागों तथा डिपो को भी एक निर्धारित सीमा तक विभिन्न सामानों को क्रय करने का अधिकार दिया गया है। इस विभाग द्वारा समय–समय पर विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों तथा कर्मचारियों से विचार–विमर्श कर भण्डार प्रबन्धन प्रणाली में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग स्क्रेप वाहनों का एवं अनुपयोगी व अप्रचलित सामानों के निष्पादन की कार्यवाही भी करता है।

सिविल इंजीनियरिंग विभाग

इस विभाग का मुखिया मुख्य अधिशासी अभियन्ता होता है जो सामान्यतया बिहार सरकार के लोग निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आता है। इस विभाग का मुख्य कार्य राज्य में बस स्टेशनों का निर्माण तथा इन स्टेशनों पर विश्रामगृह, जलपानगृह, टिकटघर, शौचालय आदि सम्बन्धी निर्माण कार्य करना है। इसके साथ ही, कार्यशाला, कार्यालय भवन, कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन इत्यादि का निर्माण कराना तथा उनका नवीनीकरण तथा अनुरक्षण करना इसका कार्य है। संक्षेप में निगम के निर्देशानुसार समस्त निर्माण कार्य करवाना तथा उसकी देखभाल करना इस विभाग की जिम्मेदारी है। मुख्य अधिशासी अभियन्ता के अधीनस्थ अनेक सहायक तथा अवर अभियंता इस विभाग में कार्यरत हैं।

चित्र 1 बिहार परिवहन निगम की मुख्यालय स्तर पर प्रबन्धकीय संरचना

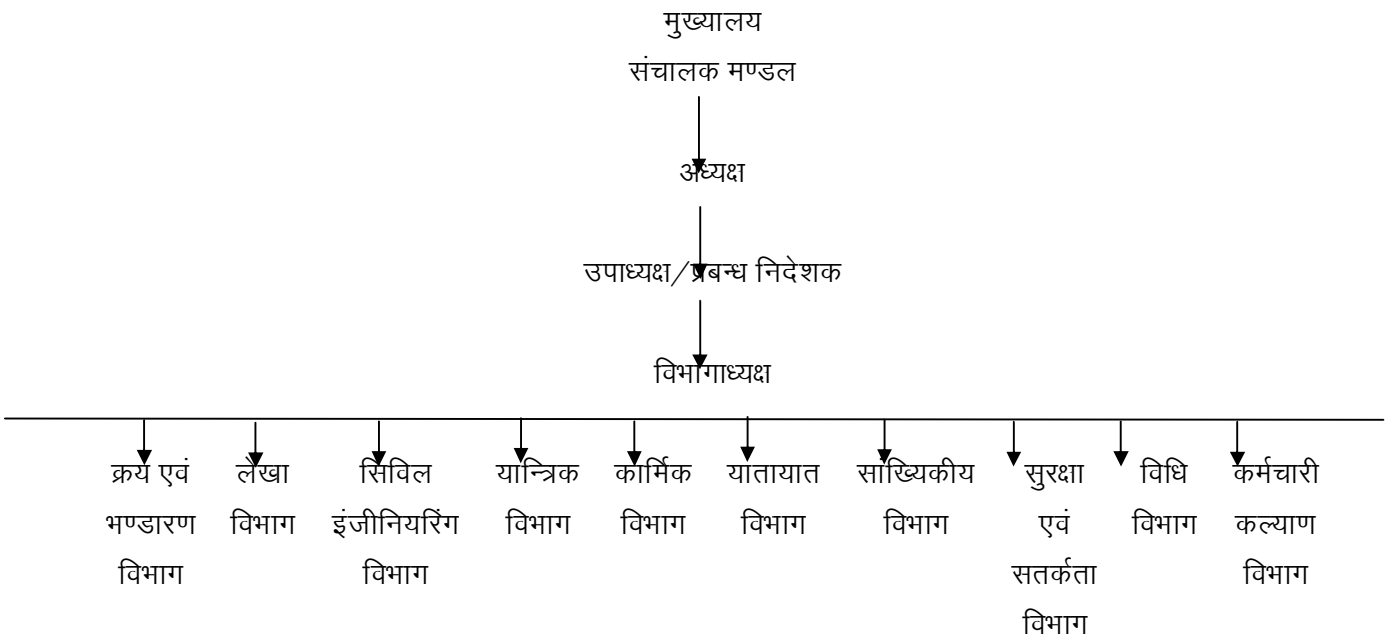

संभागीय स्तर पर प्रबंधकीय संरचना

परिवहन सेवाओं का सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से संचालन करने के लिए बिहार प0 नि0 ने राज्य को 11 संभागों में बाँटा है। ये संभाग हैंः पटना, धनबाद, दरभंगा, छपरा, गया, जमशेदपुर, भागलपुर, दुमका, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर तथा राँची सम्भाग। ये सम्भाग मुख्यालय तथा डिपो के मध्य की कड़ी है। प्रत्येक सम्भाग एक सम्भागीय प्रबन्धक की देखरेख में कार्य करता है। यह प्रबन्धक मुख्यालय (पटना) की नीतियों के अनुसार कार्य करता है तथा यह समस्त कार्यकलापों के लिए मुख्यालय के प्रति उत्तरदायी होता है। इसकी सहायता के लिए सहायक सम्भागीय प्रबन्धक, सम्भागीय कार्यशाला प्रबंधक, कार्मिक अधिकारी, लेखाधिकारी, यातायात निरीक्षक, क्रय एवं भण्डारण अधिकारी सुरक्षा अधिकारी इत्यादि की नियुक्ति की गयी है।

डिपो स्तर पर प्रबन्धकीय संरचना

परिवहन सेवाओं के प्रबन्ध के प्रथम दो स्तर (मुख्यालय तथा संभाग) का सम्बन्ध मुख्य रूप से सेवाओं के प्रशासन तथा पर्यवेक्षण से होता है जबकि तीसरा स्तर डिपो प्रत्यक्ष रूप से बस सेवाओं के संचालन से सम्बन्धित होता है। प्रत्येक सम्भाग को कुछ डिपो में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक डिपो के प्रबंध हेतु एक डिपो प्रबन्धक नियुक्त किया गया है। कुछ बड़े डिपो में सहायक डिपो प्रबन्धक भी नियुक्त किये गये हैं। बिहार प0 नि0 के सम्भाग तथा प्रत्येक सम्भाग विशेष के अन्तर्गत कार्यरत डिपो का विवरण निम्न प्रकार हैंः

क्र.सं.	संभाग	डिपो
1.	पटना	1. पटना 2. आरा 3.पालीगंज 4. बिहारशरीफ
2.	धनबाद	1. धनबाद 2. गिरिडीह 3. बोकारो
3.	दरभंगा	1. दरभंगा
4.	छपरा	1. छपरा 2. सिवान
5.	गया	1. गया 2. नवादा 3. जहानाबाद 4. औरंगाबाद
6.	जमशेदपुर	1. जमशेदपुर 2. एग्रीको
7.	भागलपुर	1. भागलपुर 2. जमुई

8.	दुमका	1. दुमका 2. देवघर 3. गोड्डा
9.	पूर्णिया	1. पूर्णिया 2. सहरसा
10.	मुजफ्फरपुर	1. मुजफ्फरपुर 2. मोतिहारी 3. सीतामढ़ी
11.	राँची	1. राँची 2. हजारीबाग 3. गुमला 4. डाल्टनगंज

संकेतक * तथा ** से दर्शित संभाग अब झारखण्ड के भाग है।

चित्र 2

बिहार परिवहन निगम की डिपो स्तर पर प्रबन्धकीय संरचना

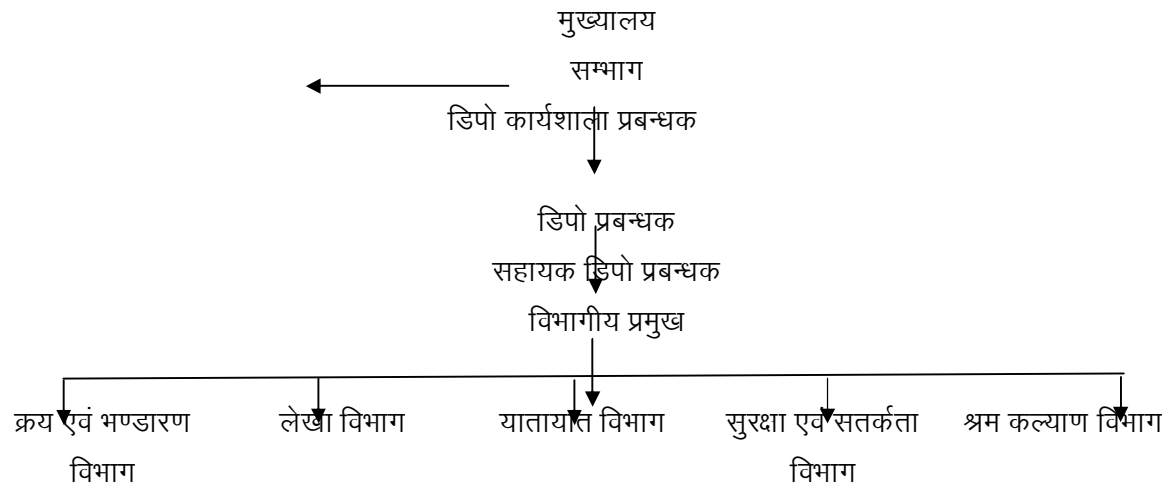

डिपो प्रबन्धक अपने डिपो का प्रशासनिक अधिकारी होता है तथा डिपो में निगम की नीतियों को क्रियान्वित करना उसका मुख्य दायित्व होता है। वह समय–समय पर डिपो से संबंधित सूचनायें उच्च प्रबन्ध को प्रेषित करता है। कर्मचारियों तथा यात्रियों की सुविधा के लिए डिपो स्तर पर अन्य विभागों की स्थापना की गयी है जैसे–लेखा विभाग, क्रय व भण्डारण विभाग, सुरक्षा विभाग, यातायात विभाग इत्यादि।

निगम के कर्मचारियों की आचार संहिता

केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 18 तथा 19 को ध्यान में रखते हुए बिहार प0 नि0. ने अपने कर्मचारियों तथा अधिकारियों के निम्नलिखित दायित्व निर्धारित किये हैं:

- प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी निगम के प्रति निष्ठावान रहेगा तथा पूर्ण ईमानदारी व वफादारी से निगम की सेवा करेगा।
- कोई भी कर्मचारी पूर्वानुमति लिए बिना अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित नहीं रहेगा। यदि कर्मचारी स्वयं सम्भाग या डिपो प्रमुख हो तो निकटस्थ वरिष्ठ अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना यह अपना कार्यालय नहीं छोड़ेगा।
- कर्मचारी निगम का कार्य ऐसी हैसियत में तथा ऐसे स्थानों पर करेगा, जिसके सम्बन्ध में समय–समय पर उसे निर्देशित किया जाय।
- प्रत्येक कर्मचारी निगम के मामलों के सम्बन्ध में पूर्ण गोपनीयता बनाये रखेगा।
- निगम का कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली किसी भी जाँच में कोई साक्ष्य नहीं देगा।
- कोई भी कर्मचारी कार्यस्थल पर मादक पदार्थो का सेवन नहीं करेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थल पर नशे की हालत में उपस्थित होगा।
- कोई भी कर्मचारी सक्षमत प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना न तो कोई उपहार स्वीकार करेगा और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसा करने की अनुमति देगा।
- किसी कारणवश कोई कर्मचारी गिरफ्तार किया गया हो तो उसे अपनी गिरफ्तारी की सूचना शीघ्रता अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी होगी, भले ही बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया हो। ऐसा न करने पर कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- कोई भी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य या उससे सम्बद्ध नहीं होगा और न ही वह किसी राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय भाग लेगा।
- कोई भी कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को रोजगार दिलाने में अपने पद का तथा प्रभाव का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयोग नहीं करेगा।
- निगम का कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना बाहरी नियोजन के लिए आवेदन नहीं करेगा।

निगम अपने कर्मचारियों से कर्त्तव्य पालन की प्रक्रिया में अनेक दायित्वों के निर्वहन की आशा करता है। लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि कर्मचारियों द्वारा दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता का भाव पाया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी किसी न किसी श्रम संघ का सदस्य है। किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही होने पर संबंधित संघ सक्रिय हो जाता है जिससे प्रबन्ध को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रम संघों पर विभिन्न राजनैतिक दलों का वर्चस्व होने के कारण कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही होने पर संबंधित राजनैतिक दल का निगम के प्रबंध पर दबाव बढ़ जाता है।

निष्कर्ष

बिहार में राज्य सड़क सेवाओं का उद्भव विभागीय स्वरूप के अन्तर्गत 26 जनवरी, 1953 को हुआ। सरकार द्वारा सड़क सेवायें संचालित करने का मुख्य उद्देश्य जनता को मितव्ययी एवं नियमित परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराना, निजी संचालकों की मनमानी प्रवृत्ति को समाप्त करना तथा राज्य के संसाधन में वृद्धि करना था। सन् 1950 में संसद में केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम अधिनियम पारित किया गया जिसके प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये विभिन्न राज्यों में

सांविधिक निगमों की स्थापना की गयी। बिहार सरकार ने 1 मई, 1959 को उक्त केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत बिहार सड़क परिवहन निगम की स्थापना की। इस निगम की स्थापना के पश्चात् राज्य सड़क सेवाओं पर नियंत्रण की विभागीय व्यवस्था समाप्त हो गयी।

11 अक्टूबर, 1999 तक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की प्रबंध एक संचालक मण्डल द्वारा किया जाता रहा। किन्तु, उसके पश्चात् इस मण्डल को भंग कर राज्य सरकार ने निगम में एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी जो निगम के कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी होता है। पथ परिवहन निगम की व्यवस्था त्रि–स्तरयी है। सर्वोच्च स्तर पर पटना स्थित मुख्यालय तथा मुख्यालय के विभिन्न विभाग है। मुख्यालय के पश्चात् द्वितीय स्तर पर संभागीय कार्यालय है जो तृतीय स्तर पर स्थित डिपो के कार्यकलापों पर नजर रखते हैं। तीनो स्तर पर निगम के कार्यकलापों को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु अनेक विभागों की स्थापना की गयी है तथा प्रत्येक विभाग को एक निश्चित कार्यभार सौंपा गया है। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था के अधीन कर्मचारियों के लिए अपेक्षित कर्तव्यों का निर्धारण भी किया गया है। व्यवहार में कर्मचारियों के दायित्व निर्वहन में उदासीनता देखी जाती है। और यही कारण है कि निगम की स्थिति दिनानुदिन बेहतर होने के बजाए बदतर होती जा रही है।

सन्दर्भः

1. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना की वेबसाइट & www.bsrtc.org.in
2. सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 6
3. सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 में 1982 का संशोधन
4. सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 5
5. कृष्ण मेनन समिति की रिपोर्ट, 1964
6. सड़क परिवहन अधिनियम 1950 की धारा 5 (3)
7. सड़क परिवहन अधिनियम 1950 की धारा 14 (1)
8. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना की वेबसाइट–ूण्इेतजबण्वतहण्पद
9. वही